उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)

संख्या- 66/2015/वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)-169/दस-2015

लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2015

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आहार विशेषज्ञ संवर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आहार विशेषज्ञ संवर्ग सेवा नियमावली, 2015

	भाग-एक-सामान्य
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1-(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आहार विशेषज्ञ संवर्ग सेवा नियमावली,2015 कही जाएगी। **(2)** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2-(1) किसी सरकारी विभाग में आहार विशेषज्ञ संवर्ग सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
नियमवाली का लागू होना	3- यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, किसी सरकारी विभागों में आहार विशेषज्ञ संवर्ग के पदों पर लागू होगी।
अध्यारोही प्रभाव	4- यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
परिभाषायें	5- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; (ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में , यथा स्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन आहार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विशेषज्ञ संवर्ग सेवा के पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी से है; (ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये; (घ) आयोग का तात्पर्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश से है; (ड) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है; (च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति से है; (झ) 'नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विर्निदिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गों से है; (ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आहार विशेषज्ञ संवर्ग सेवा से है; (ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; (ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;
	भाग-दो-संवर्ग
सेवा का संवर्ग	6-(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए। (2) जब तक कि उप नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सरकारी विभाग में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2040/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में अन्तर्विष्ट विनिश्चयों के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभागो द्वारा जारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	किये गये सरकारी आदेशों में अवधारित की गयी हो: परन्तु यह कि:- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें;
	भाग-तीन-भर्ती
भर्ती का स्रोत	7- सेवा में आहार विशेषज्ञ के पद पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
आरक्षण	8- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
	भाग-चार-अर्हतायें
राष्ट्रीयता	9- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-- (क) भारत का नागरिक हो, या; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो: परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें; परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्यधीन होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
आयु	10- सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
शैक्षिक अर्हतायें	11- सेवा में आहार विशेषज्ञ के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैः (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि (गृह विज्ञान और गृह अर्थशास्त्र) या खाद्य एवं पोषण में विज्ञान स्नातक उपाधि। (दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आहारिकी और जन स्वास्थ्य पोषण में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा और तीन मास की प्रशिक्षुता। (तीन) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में एक वर्ष का अनुभव।
अधिमानी अर्हता	12- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने - (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
चरित्र	13- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के

http://shasanadesh.up.nic.in

	लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	14- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो: परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
शारीरिक स्वस्थता	15- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।
	भाग पांच- भर्ती की प्रक्रिया
रिक्तियों का अवधारण	16- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	17- सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह-'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (ढंग और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।
	भाग-छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता
नियुक्ति	18-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी कि यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो।
परिवीक्षा	19-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी उप नियम (2) के अधीन सेवायें समाप्त कर दी जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td>स्थायीकरण</td><td>20 (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा,
यदि-
(क)उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,
(ख)उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
(ग)नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।</td></tr>
<tr><td>ज्येष्ठता</td><td>21-- सेवा में मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।</td></tr>
<tr><td></td><td>भाग-सात वेतन इत्यादि</td></tr>
<tr><td>वेतनमान</td><td>22-(1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-
<table>
<tr><th>पद का नाम</th><th>वेतनमान</th><th>ग्रेड वेतन</th></tr>
<tr><td>आहार विशेषज्ञ</td><td>वेतन बैण्ड-2
(रूपया 9300-34800)</td><td>रूपया 4200/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>परिवीक्षा अवधि में वेतन</td><td>23- (1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में न हो, तो वेतनमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जहॉ विहित हो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के उपरान्त तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और स्थायी भी कर दिया गया होः
परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा: परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
	भाग-आठ अन्य उपबन्ध
पक्ष समर्थन	24-किसी पद के लिए सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	25-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
सेवा की शर्तो में शिथिलीकरण	26-जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
व्यावृत्ति	27- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 66/2015/Ve. Va.(Prakosth)-169 / Ten-2015 dated 22 December, 2015 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
(NIYAMAWALI AND VIDHI PRAKOSTHA)

NOTIFICATION
Miscellaneous

No. 66/ 2015/Ve.Va.(Prakosth)-169 / Ten-2015

Dated Lucknow, 22 December, 2015

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Dietician Cadre Service:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT DIETICIAN CADRE SERVICE RULES, 2015

	PART-I-GENERAL
Short title and commencement	**1.(1)** These rules may be called The Uttar Pradesh Government. Department Dietician Cadre Service Rules, 2015. **(2)** They shall come into force at once .
Status of the service	**2.** The Dietician Cadre Service in a Government Department comprises Group 'C' posts.
Application of these rules	**3.** These rules shall apply to the posts of Dietician cadre in a Government Department excluding the Uttar Pradesh Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukta, Public Service Commission, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate General, Uttar Pradesh and of the establishments under the control of Advocate

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	General.
Overriding effect	**4.** These rules shall have effect not withstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.
Definitions	**5.** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: **(a)** 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; **(b)** 'appointing authority' means an authority empowered to make appointment to a post of the Dietician Cadre Service in a Government Department under relevant service rules or executive instructions, as the case may be; **(c)** 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution; **(d) '**Commission **'** means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission; **(e)** 'Constitution' means the Constitution of India; **(f)** 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh; **(g)** 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh; **(h)** 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service; **(i)** 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time; **(j)** 'service' means the Uttar Pradesh Government Department Dietician Cadre Service; **(k)** 'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; **(l)** 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.
	PART-II-CADRE
Cadre of service	**6. (1)** The strength of the service in a Government Department shall be such as may be determined by the Government from time to time. **(2)** The strength of the service in a Government Department shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as determined in the Government order issued by the concerned Administrative Departments in accordance with the decisions contained in the Government Order No. Va. Aa-2- 2040/Ten-54(M)/2008 T.C, Dated August 17, 2010: Provided that:-- **(i)** the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or **(ii)** the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.
	PART-III - RECRUITMENT
Source of recruitment	**7.** Recruitment to the post of Dietician in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.
Reservation	**8-** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Government in force at the time of the recruitment.
	PART-IV- QUALIFICATIONS
Nationality	**9.** A candidate for direct recruitment to a post in the service must be: **(a)** a citizen of India; or **(b)** a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or **(c)** a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government: Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh: Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship. **NOTE-** A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.
Age	**10.** A candidate for direct recruitment must have

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
Academic qualification	**11.** A candidate for direct recruitment to the post of Dietician in the service must possess the following qualifications: **(i)** Bachelor's Degree (Home Science and Home Economics) or B.Sc. Degree in Food and Nutrition from a recognized University/ Institute. **(ii)** One year Post-Graduate Diploma in Dietetics and Public Health Nutrition from a recognized University/ Institute and three months apprenticeship. **(iii)** One year's experience in a recognized Hospital.
Preferential qualification	**12.** A candidate who has: **(i)** served in the Territorial Army for a minimum period of two years, **or** **(ii)** obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
Character	**13.** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. **NOTE -** Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status	**14.** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service: Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
Physical fitness	**15.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part -III.
	PART-V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT
Determination of vacancies	**16.** The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8.
Procedure for direct recruitment	**17.** Direct recruitment shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group- 'C' Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.
	PART-VI APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY
Appointment	**18.(1)** The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	the order in which they stand in the list prepared under rule 17. **(2)** If more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.
Probation	**19.(1)** A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules,2013. **(2)** If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with. **(3)** A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
Confirmation	**20.(i)** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if- ***(a)*** his work and conduct is reported to be satisfactory, ***(b)*** his integrity is certified, and ***(c)*** the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
Seniority	**21.** The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.
	PART-VII PAY ETC
Scale of pay	**22.(1)** The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scale of pay at the time of the

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>commencement of these rules is given as follows:
<table>
<tr><th rowspan="2">Name of post</th><th colspan="2">Scale pay</th></tr>
<tr><th>Pay Band</th><th>Grade Pay</th></tr>
<tr><td>Dietician</td><td>Pay Band-2 (Rs. 9300-34800)</td><td>Rs. 4200/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pay during probation</td><td>23.(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:
Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.
(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:
Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.
(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.</td></tr>
<tr><td></td><td>PART-VIII - OTHER PROVISIONS</td></tr>
<tr><td>Canvassing</td><td>24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other matters	**25.** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxation from the conditions of service	**26.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:
Savings	**27.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

AJAY AGARWAL
Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।